

प्रेस नोट

निर्वाचन अधिकारी और पुलिस पर्यवेक्षक ने आबकारी विभाग के संग की बैठक

दिनांक १५/०४/२०१४ मंगलवार के दिन निर्वाचन विभाग के द्वारा समहर्तालय के सभागार में सुबह ११.०० बजे लोक सभा चुनाव २०१४ में शराब की बिक्री एवं तस्करी के नियंत्रण के उद्देश्य से आबकारी विभाग के निरीक्षक से लेकर गार्ड तक के स्टाफ की बैठक की जिसमें पिछले कई दिनों से आबकारी विभाग द्वारा अनधिकारिक रूप से शराब की बिक्री, तस्करी और स्टॉक पर पैनी निगरानी रखते हुए इन कामों में लिप्त शराब के व्यापारी और शराब तस्करों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गयी है, फिर भी कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बड़ी चालाकी और चोरी छिपी से दमण के पास गुजरात राज्य में शराब की तस्करी हो रही है ऐसी बात भी और समाचार के आधार पर निर्वाचन अधिकारी श्री रमेश वर्मा ने आबकारी विभाग के सभी स्टाफ को कड़ी हिदायत दी है की आप हमारे दमण के हर एक चेक पोस्ट के पर हर आने जाने वाले हर प्रकार के वाहनों की सख्त जाँच करे और गैरकानूनी तरीके से शराब की तस्करी करनेवालों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी, अगर दमण के किसी भी चेक पोस्ट से गुजर कर गुजरात के किसी भी क्षेत्र में शराब पकड़ी गयी तो उस चेक पोस्ट के जिम्मेदार स्टाफ के ऊपर कर्तव्य की लापरवाही के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जायेगा।

पुलिस पर्यवेक्षक श्री शंकर जिवाल ने बताया कि दमण के बाहर शराब की तस्करी को रोकने के साथ साथ दमण में भी चुनाव के दौरान किसी भी उम्मीदवार या राजनैतिक पार्टी के द्वारा मतदाता को लुभाने के लिए बियर या शराब वितरित की जाती है तो उन पर भी कड़ी निगरानी रखते हुए इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए चौकन्ने रहे साथ में सेक्टर ऑफिसर भी अपने सेक्टर में हो रहे इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए शराब के गोदाओं, थोक विक्रेता और खुदरा शराब विक्रेता के ऊपर नज़र बनाये रखे ।

